हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या लैज. 5/2019.– दि हरियाणा म्युनिसिपल (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 फरवरी, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क की उपधारा (1) में ,– 1973 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2क का संशोधन।

(i) खण्ड (i) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''विद्यमान'' शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खण्ड (ii) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''विद्यमान'' शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खण्ड (iii) में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व, ''विद्यमान'' शब्द रखा जाएगा ;

(iv) विद्यमान व्याख्या, व्याख्या 1 के रूप में पुनः–संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुनः– संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात् :–

'व्याख्या 2.– ''विद्यमान जनसंख्या'' से अभिप्राय है, वर्ष, जिसमें नगरपालिका का गठन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सुविचारित किया जा रहा है, के लिए बताई गई जनसंख्या, अर्थात् :–

वि.ज.= ज.एक्स (1+ वा.वृ.द/100)सं ; जहां–

(i) वि.ज.– विद्यमान जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(ii) ज.– धारा (2) के खण्ड (45) में परिभाषित जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है ;

(iii) वा.वृ.द.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना से प्राप्त प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि दर को निर्दिष्ट करता है ;

(iv) सं.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना वर्ष से वर्ष, जिसमें नगरपालिका का गठन सुविचारित किया जा रहा है, तक के वर्षों की संख्या को निर्दिष्ट करता है ।''।

मीनाक्षी आई0 मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।